

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/प्रवेश/2023/6753

दिनांक 11/9/23

// संशोधित कार्यालयीन आदेश //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश क्रमांक-15 की कंडिका -05 पर उल्लेखित प्रावधानुसार विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के मध्य अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये दिनांक 03.02.2023 से आगामी 02 वर्ष के लिये निम्नानुसार कुलानुशासन मण्डल का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. कुलानुशासक | - | डॉ० हरेन्द्र शर्मा, पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला |
| 2. संयुक्त कुलानुशासक | - | डॉ० नवनीत गरुड़, फार्मसी अध्ययनशाला |
| 3. संयुक्त कुलानुशासक | - | डॉ० निमिषा जादौन, पर्यावरण रसायन अध्ययनशाला |
| 4. संयुक्त कुलानुशासक | - | डॉ० राम शंकर, विधि अध्ययनशाला |

कुलानुशासक पद हेतु रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से एवं संयुक्त कुलानुशासक पद हेतु रूपये 100/- प्रतिमाह की दर से भत्ता देय होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

समस्त संबंधितों की ओर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :-

1. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. विभागाध्यक्ष/समन्वयक, विश्वविद्यालय अध्ययनशालायें, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।